

171 राज्य सरकार द्वारा तय तय पर जो भी आदेश निर्गत हो जायेगा तैय्या उनका पालन होगी ।

181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रश्न/विषयों में रखा जायेगा

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुझावों के बिना कोई परीक्षा संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैय्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि तैय्या का निवास कम 2 वर्ष के भीतर बनायाजए शासन को अवगत कराया जा

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तय यह पाया जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की सूझ या डिफिकल्ट बरता जा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव आयाचित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अधीक माँगी) उप तय ।

सं. 3716111/15-7-193 तद्विधि

प्रतिनिधि निम्नलिखित को (कमार्थ एवं अवगत कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- केंद्रीय उच्च शिक्षा निदेशक, नुरादाबाद केंद्र, नुरादाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, दिल्ली, ।
- 4- निरीक्षक, ज्ञान भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, विद्यया नाडन स्कूल, नौरंगाबाद, धामपुर, दिल्ली ।

अतः,

(Signature)
 MANAGER
 Priyanka Modern Sr. Sec. School
 (Affiliated to C.B.S.E., New Delhi)
 NAURANGABAD, DHAMPUR-246761

(अधीक माँगी) उप तय ।

(Signature)

PRINCIPAL

Priyanka Modern School
(Affiliated to CBSE, New Delhi)
Naurangabad, Dhampur-246761
School No.-81067, Aff. No.-2130227